



## अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नुमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

### कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: २६० भाग क्र: मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: रशीद बंडुभाई नदाफ

जुना वार्ड क्र: जुना मालमत्ता क्र: ६४०९ संगणक क्र.: ११४०००६६९

मालमत्तेचे वर्णन: निवासी

बिल क्र: AKKA98757

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

दुकान / इमारतीचे नाव: /.

पत्ता: मुजावर गल्ली, अकालकोट

| कराचे विवरण   | संकलित कर रु. | झाड कर रु. | म.शिक्षण कर रु. | नौकरी/ शाश्वती कर | अग्निशमन कर रु. | जल निस्सारण कर रु. | वि.स्वच्छता कर रु. | वि शिक्षण कर | वापरकर्ता शुल्क रु. | थकीत वॉरंट फी | अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती | मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती | एकूण कर रु. |
|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| थकीत मागणी रु | ११०९          | ५१         | १९५             |                   | २४              | ९३                 |                    | १११          | १९२०                | ६             |                              | ९४८                         | ४४५७        |
| चालु मागणी रु | २२३           | १०         | ४३              |                   | ४               | १९                 |                    | २२           | ४८०                 |               |                              |                             | ८०९         |
| एकूण कर रु    | १३३२          | ६१         | २३८             |                   | २८              | ११२                |                    | १३३          | २४००                | ६             |                              | ९४८                         | ५२५८        |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेगळ्याची नाही



## अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नुमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

### कराचे बिल

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: २६० भाग क्र: मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: रशीद बंडुभाई नदाफ

जुना वार्ड क्र: जुना मालमत्ता क्र: ६४०९ संगणक क्र.: ११४०००६६९

मालमत्तेचे वर्णन: निवासी

बिल क्र: AKKA98757

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

दुकान / इमारतीचे नाव: /.

पत्ता: मुजावर गल्ली, अकालकोट

### सन २०२३-२४ करीता मागणी

| कराचे विवरण                         | थकीत मागणी रु | चालु मागणी रु | एकूण मागणी रु | वसुली पुस्तक क्र. पावती क्र. दिनांक: | एकूण शिल्लक मागणी रु |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| १) मालमत्ता कर रु                   | ११०९          | २२३           | १३३२          |                                      | १३३२                 |
| २) झाड कर रु                        | ५१            | १०            | ६१            |                                      | ६१                   |
| ३) म.शिक्षण कर रु                   | १९५           | ४३            | २३८           |                                      | २३८                  |
| ४) नौकरी/ शाश्वती कर रु             |               |               |               |                                      |                      |
| ५) अग्निशमन कर रु                   | २४            | ४             | २८            |                                      | २८                   |
| ६) जल निस्सारण कर रु.               | ९३            | १९            | ११२           |                                      | ११२                  |
| ७) वि. स्वच्छता कर रु               |               |               |               |                                      |                      |
| ८) वि शिक्षण कर                     | १११           | २२            | १३३           |                                      | १३३                  |
| ९) वापरकर्ता शुल्क रु.              | १९२०          | ४८०           | २४००          |                                      | २४००                 |
| १०) थकीत वॉरंट फी.                  | ६             |               | ६             |                                      | ६                    |
| ११) अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती रु |               |               |               |                                      |                      |
| मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती रु      | ९४८           |               | ९४८           |                                      | ९४८                  |
| अग्रिम रक्कम रु                     |               |               |               |                                      |                      |
| एकूण कर रु                          | ४४५७          | ८०९           | ५२५८          |                                      | ५२५८                 |

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो.

२) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० (३) अन्वये बिल दिल्यापासून १५ दिवसांत करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) मागील कर आकारणीनुसार थकबाकी शिल्लक असल्यास पुढील विलास लागू येईल. ४) महाराष्ट्र नगर परिषदा, अधिनियम १९६५ मधील ( राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४) मधील सुधारीत कलम १५०अ (१) अन्वये मागणी बिलातील थकीत रकमेचा पुर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीवर महिन्यान्तर २% प्रतिमाह प्रमाणे शास्ती आकारण्यांत येईल. ५) नाही तर अशी रक्कम व तो वसुली करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहीने वॉरंट ( अधिपत्र) करून व ती जाहिर लिलावाव्दारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत मा. मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर बिल बजावल्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळाली अथवा बांधकाम कायदेशीर आहे किंवा मालकीची आहे असे समजण्यात येत नसेल. ८) ३१/१०/२०२३ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, जाईल.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                  | नोव्हें-२३ | डिसे-२३ | जाने-२४ | फेब्रु-२४ | मार्च-२४ |
|------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम J       | ४४५७       | ४५२७    | ४५९७    | ४६६८      | ४७३८     |
| प्रथम बर्खास्त मागणी J | ४०१        | ४०१     | ८१७     | ८३३       | ८४९      |
| दुसरी बर्खास्त मागणी J | ४००        | ४००     |         |           |          |
| एकूण देय रक्कम J       | ५२५८       | ५३२८    | ५४१४    | ५५०१      | ५५८७     |

कर संग्राहक

अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट

कर अधिक्षक

अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट

मुख्याधिकारी

अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट

१) जोला, सुका, घातक कचरा विलगीकरण करून घनकचरा नियम २०१६ नुसार निव्वेदात सावण्याची प्राथमिक जबाबदारी मालमत्ता धारकाची आहे. घंटागाडीसाठी प्रत्येक मालमत्ता धारकाला स्वातंत्रित्या शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क बंधनकारक आहे.

२) शहर प्लॅस्टिक मुक्त करण्यासाठी शासन धोरण/ न.प ठराव नियमानुसार शास्ती टाळण्यासाठी निरवस्थित प्लॅस्टिक चा वापर टाळावा.



कर भरा कटुता टाळा